कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएें मध्यप्रदेश
विंध्याचल भवन भोपाल

क्रमांक/साख/एपी/2016/ 1450 भोपाल, दिनांक 26-5-16

आदेश 93

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 की धारा 55(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं मनीष श्रीवास्तव, पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल के सेवायुक्तों के (नियोजन, निबन्धन तथा कार्यस्थिति) सेवा नियम क्रमांक 6.2.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.7.3 एवं 6.10.2 में संलग्न परिशिष्ट अनुसार संशोधन प्रतिस्थापित करता हूँ।

उक्त आदेश आज दिनांक 26/5/16 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(मनीष श्रीवास्तव)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं म.प्र.

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, मुख्यालय भोपाल

पृष्ठां.क. मप्र(मुख्या)/3/कार्मिक प्रशासन/प्रसं/610 दिनांकः 15/06/2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शाखा प्रबंधक, म.प्र. राज्य सहकारी बैक मर्यादित, समस्त शाखाऐं, म.प्र.।
2. प्राचार्य, अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कालेज, भोपाल।
3. समस्त वि.क.अ./सलाहकार/सहायक महाप्रबंधक एवं समस्त कक्ष प्रधान, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, मुख्यालय, भोपाल।
4. कक्ष प्रधान (सामान्य प्रशासन--वेतन एवं अवकाश प्रभाग/लेखा/सीबीएस) म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, मुख्यालय, भोपाल।
5. निज सचिव, माननीय प्रशासक महोदय, शीर्ष बैंक, भोपाल ।
6. निज सचिव, प्रबंध संचालक, शीर्ष बैंक, भोपाल ।
7 आदेश नस्ती ।
8. संबंधित नस्ती ।
9. रिकार्ड ।

(प्रदीप नीखरा)
प्रभारी प्रबंध संचालक

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश
विंध्याचल भवन भोपाल

क्रमांक/साख/एपी/2016/ 1450 भोपाल, दिनांक 26-5-16

आदेश 93

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 की धारा 55(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं मनीष श्रीवास्तव, पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल के सेवायुक्तों के (नियोजन, निबन्धन तथा कार्यस्थिति) सेवा नियम क्रमांक 6.2.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.7.3 एवं 6.10.2 में संलग्न परिशिष्ट अनुसार संशोधन प्रतिस्थापित करता हूँ।

उक्त आदेश आज दिनांक 26/5/16 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(मनीष श्रीवास्तव)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं म.प्र.
भोपाल, दिनांक 26-5-16

क्रमांक/साख/एपी/2016/ 1450

प्रतिलिपि,

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री, सहकारिता म.प्र. शासन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल, म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल।
5. राजपत्रित अधिकारी, (समस्त) मुख्यालय भोपाल।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

26/5/16
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं म.प्र.

329
31/5

ACM(P)

AO(P)

APO

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, मुख्यालय भोपाल

बैंक सेवानियमों में संशोधन

क्र.	सेवानियम क्रमांक	कंडिका	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान	संशोधन का कारण/रिमार्क
1	6.2	**6.2.2**	बैंक के सेवानियम एवं मानव संसाधन नीति में निर्धारित नियमावली एवं प्रक्रिया के अध्यधीन लिखित परीक्षा बाहय एजेंसी यथा आईबीपीएस, मुम्बई और इस तरह की अन्य एजेंसियाँ जिन्हें बैंकिंग क्षेत्र की भर्ती का विशेष एवं व्यापक अनुभव प्राप्त है, के माध्यम से संपन्न करायी जाकर तैयार मेरिट सूची में से अनुसूची–5(ए) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार संबंधित बैंक की चयन समिति अंतिम चयन सूची तैयार करेगी। समूह – स (अधीनस्थ श्रेणी) के पद बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रबंध संचालक द्वारा मानव संसाधन नीति में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार भरे जायेंगे।	बैंक के सेवानियम एवं मानव संसाधन नीति में निर्धारित नियमावली एवं प्रक्रिया के अध्यधीन लिखित परीक्षा बाहय एजेंसी आईबीपीएस, मुम्बई जिन्हें बैंकिंग क्षेत्र की भर्ती का विशेष एवं व्यापक अनुभव प्राप्त है, के माध्यम से संपन्न करायी जाकर तैयार मेरिट सूची में से अनुसूची–5(ए) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार संबंधित बैंक की चयन समिति अंतिम चयन सूची तैयार करेगी। समूह –स (अधीनस्थ श्रेणी) के पद बैंक के प्रबंध संचालक द्वारा मानव संसाधन नीति में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार भरे जायेंगे।	**आंशिक संशोधन**
2	6.3	6.3.1	समूह अ एवं ब के पदों पर **"बाहय एजेंसी** यथा आईबीपीएस, मुम्बई और इस तरह की अन्य एजेसियॉ जिन्हें बैकिंग क्षेत्र की भर्ती का विशेष एवं व्यापक अनुभव प्राप्त है," द्वारा लिखित परीक्षा तथा बैंक की चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती की कार्यवाही **अनुसूची 5–(ए)** में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की जावेगी।	समूह अ एवं ब के पदों पर **"बाहय एजेंसी** आईबीपीएस, मुम्बई जिन्हें बैकिंग क्षेत्र की भर्ती का विशेष एवं व्यापक अनुभव प्राप्त है," द्वारा लिखित परीक्षा तथा **समूह अ** के पदों के लिये बैंक की चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से **एवं समूह ब के सीधी भर्ती के पदों के लिये बाहय एजेंसी से प्राप्त मेरिट सूची (प्रतिक्षा सूची सहित) के आधार पर** भर्ती की कार्यवाही **संशोधित अनुसूची 5–(ए)** में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की जावेगी।	म.प्र.शासन में गैर कार्यपालिक तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में साक्षात्कार की अनिवार्यता समाप्त करने से।

क्र.	सेवानियम क्रमांक	कंडिका	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान	संशोधन का कारण/रिमार्क
		6.3.2	सीधी भर्ती हेतु चयन की प्रक्रिया निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा तथा भर्ती की पात्रता, अपात्रता को ध्यान मे रखकर बाह्य एजेंसी द्वारा की जाकर रिक्त पदों के तीन गुना की मेरिट सूची उपलब्ध कराई जावेगी। इन भर्तियों पर साक्षात्कार बैंक की चयन कमेटी द्वारा लिया जावेगा ।	**समूह अ** के पदों हेतु सीधी भर्ती हेतु चयन की प्रक्रिया निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा तथा भर्ती की पात्रता, अपात्रता को ध्यान मे रखकर बाह्य एजेंसी द्वारा की जाकर रिक्त पदों के तीन गुना की मेरिट सूची उपलब्ध कराई जावेगी। इन भर्तियों पर साक्षात्कार बैंक की चयन कमेटी द्वारा लिया जावेगा । **समूह ब के सीधी भर्ती के पदों हेतु बाह्य एजेंसी द्वारा प्राप्त मेरिट सूची (प्रतिक्षा सूची सहित) के आधार पर भर्ती की कार्यवाही चयन समिति द्वारा अनुसूची 5 (ए) के अनुसार की जावेगी।**	
		6.3.3	सामान्य सहायक/कम्प्यूटर आपरेटर के पदों पर भर्ती **अनुसूची–5** में दर्शायी शैक्षणिक अर्हता अनुसार की जा सकेगी।	सामान्य सहायक/कम्प्यूटर आपरेटर के पदों पर भर्ती **संशोधित अनुसूची–5** में दर्शायी शैक्षणिक अर्हता अनुसार की जा सकेगी।	म. प्र. शासन द्वारा कम्प्यूटर डिप्लोमा /डिग्री के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में स्पष्टीकरण के कारण
3	6.7	6.7.3	बैंक की स्टाफ उप समिति अजा/अजजा/विकलांग व्यक्तियों/भूतपूर्व सैनिकों एवं महिलाओं की नियुक्ति के लिये उनकी आयु एवं निम्नतम शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तों में राज्य शासन के नियमानुसार छूट देने के लिये अधिकृत रहेगी।	अजा/अजजा/ विकलांग व्यक्तियों/भूतपूर्व सैनिकों एवं महिलाओं की नियुक्ति के लिये उनकी आयु एवं निम्नतम शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तों में राज्य शासन के नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी।	त्रुटि सुधार
4	6.10	6.10.2	–	नवचयनित कर्मचारियों को एक निश्चित समयावधि न्यूनतम एक वर्ष की सेवा करना अनिवार्य होगा। इसके पूर्व सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में नवचयनित कर्मचारी को बैंक द्वारा उसके प्रशिक्षण हेतु व्यय की गई राशि जमा करना होगी।	नवीन प्रावधान

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश

अनुसूची 5 (ए)

सेवानियम क्रमांक 6.3

बैंक सेवायुक्तों की भर्ती एवं चयन की प्रक्रिया

1. सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया :–

(क) सेवा नियम क्रमांक 3.3 में उल्लेखित समूह 'अ' के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी –

1. बैंक के कुल स्वीकृत पदों में से सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये संचालक मंडल के निर्णय से बाह्य एजेंसी आईबीपीएस मुम्बई जिन्हें बैंकिंग क्षेत्र की भर्ती का विशेष एवं व्यापक अनुभव प्राप्त है, से लिखित परीक्षा आयोजित करायी जायेगी एवं रिक्त पदों के तीन गुना अभ्यर्थियों की मेरिट सूची प्राप्त की जाएगी।
2. लिखित परीक्षा के लिये 90 प्रतिशत अंक एवं साक्षात्कार के लिये 10 प्रतिशत अंक निर्धारित रहेंगे।
3. लिखित परीक्षा में निर्धारित पूर्णांक के 40 प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर ही साक्षात्कार की पात्रता रहेगी।
4. अभ्यर्थियों का साक्षात्कार चयन समिति के समक्ष होगा।
5. लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को वरीयता के आधार पर रिक्त पद संख्या के तीन गुना तक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किया जावेगा।
6. लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों के योग के आधार पर वरीयता क्रम में रिक्त पदों की संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा तथा रिक्त पदों के 50 प्रतिशत तक वरीयता क्रम में प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी जिसकी प्रभावशीलता चयन समिति की दिनांक से एक वर्ष तक रहेगी।

(ख) सेवा नियम क्रमांक 3.3 में उल्लेखित समूह 'ब' के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी –

1. बैंक के कुल स्वीकृत पदों में से सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये संचालक मंडल के निर्णय से बाह्य एजेंसी आईबीपीएस मुम्बई जिन्हें बैंकिंग क्षेत्र की भर्ती का विशेष एवं व्यापक अनुभव प्राप्त है, से लिखित परीक्षा आयोजित करायी जायेगी एवं रिक्त पदों के बराबर अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तथा रिक्त पदों के 50 प्रतिशत अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची प्राप्त की जाएगी। प्रतिक्षा सूची की प्रभावशीलता एक वर्ष तक रहेगी।
2. लिखित परीक्षा में निर्धारित पूर्णांक के 40 प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर ही मेरिट/प्रतिक्षा सूची हेतु पात्रता रहेगी।
3. मेरिट सूची तथा प्रतिक्षा सूची प्राप्त होने पर चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा।

2. तेजपथ चैनल से पदोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया :–

1. तेजपथ चैनल से पदोन्नति हेतु पदोन्नत पद के नीचे की श्रेणी के सेवायुक्तों को पदोन्नति प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता होगी।
2. पदोन्नति हेतु कुल स्वीकृत पदों में से तेजपथ चैनल के रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिये स्टाफ कमेटी के निर्णय अनुसार लिखित परीक्षा आयोजित करायी जायेगी।
3. लिखित परीक्षा के लिये 90 प्रतिशत अंक एवं साक्षात्कार के लिये 10 प्रतिशत अंक निर्धारित रहेंगे।
4. लिखित परीक्षा में निर्धारित पूर्णांक के 40 प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर ही साक्षात्कार की पात्रता रहेगी।
5. बैंक सेवायुक्तों का साक्षात्कार स्टाफ कमेटी के समक्ष होगा।
6. लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों के योग के आधार पर वरीयता क्रम में रिक्त पदों की संख्या के आधार पर सेवायुक्तों को स्टाफ कमेटी के द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाएगी तथा रिक्त पदों के 50 प्रतिशत तक वरीयता क्रम में प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी, जिसकी प्रभावशीलता एक वर्ष तक रहेगी।

3. चयन प्रकिया (अधीनस्थ श्रेणी)–

बैंक द्वारा अधीनस्थ श्रेणी के पदों पर चयन/संविदा भर्ती की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

1. रिक्त पदों की पूर्ति हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन किया जावेगा जिसमें पदों की संख्या, स्थायी/अस्थायी/संविदा की शर्ते तथा कुल देय मासिक राशि यदि कोई हो, अनिवार्य तथा अधिमान्य अर्हतायें, आयु–सीमा, आदि का विवरण होगा।
2. एम्प्लायमेन्ट (नोटिफिकेशन ऑफ वेकेन्सीज) एक्ट, 1959 के दायरे में आने वाली समस्त रिक्तियां संबंधित रोजगार कार्यालय को विधिवत सूचित की जायेगी।
3. रिक्त पदों पर चयन हेतु 100 अंक निर्धारित किये जाते है जो आवेदक की योग्यता के आधार पर निम्नानुसार प्रदान किये जावेंगे:–

(i) एचएसएससी (10+2) परीक्षा में कुल प्राप्त अंकों को अधिकतम 100 अंक दिये जावेंगे अर्थात प्राप्त प्रतिशत के बराबर अंक प्रदान किये जावेंगे। (उदाहरणार्थ –यदि किसी आवेदक को एचएसएससी परीक्षा में 75.5 प्रतिशत अंक प्राप्त हुये है तो उसे 75.5 अंक दिये जावेंगे।)

(ii) उपरोक्त प्रकिया के आधार पर आवंटित अंकों की प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी एवं चयनित उम्मीदवारों से प्रबंध संचालक या उनके द्वारा गठित अधिकारियों की समिति द्वारा अनुबंध पत्र की जानकारी प्रदान कर अभ्यर्थी की सहमति प्राप्त की जावेगी।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल के सेवायुक्त के (सेवायुक्तों के नियोजन, निबन्धन तथा कार्यस्थिति) सेवानियम

सेवानियम क्रमांक 6.1

बैंक सेवायुक्तों की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हताएं

Sr.No.	Class/Designation	Minimum Qualification	
Group / Category (A)	**Senior Management - I** (General Manager/ Deputy General Manager) **Senior Management-II** (Assistant General Manager)	**All posts in these class shall be filled up by promotion.**	
2	**Middle Management-I** (Manager)	**90% posts in Class-I shall be filled up by promotions**	**10% Technical/subject matter specialist Posts shall be filled up by direct recruitment from open market. In case of technical post/ subject matter specialist minimum qualification and experience shall be as may be fixed by the Board of Director of the Bank .**
3	**Middle Management-II** (Deputy Manager)	Promotion / Appointment to the post of Deputy Manager.	
		75% of the total sanctioned strength shall be filled up by promotions.	**25% of sanction strength shall be filled up by direct recruitment from open market.**
			Minimum qualification in case of recruitment from open market to the Post of Deputy Manager.
			A first class Bachelor's / Master's degree in any discipline and MBA (discipline as per requirement of the Bank) recognized by Govt. Excellence in computer is essential. Bachelor degree in Civil/ Mechanical/ Electrical Engineering for post of Deputy Manager (construction or maintenance) A first class degree in M.C.A./B.E. (Computer Science/ Information Technology/ Electronic & Communication) for the Deputy Manager (EDP) Computer Programmer. C.A./C.F.A. for Deputy Manager (Accounts/Financial Analyst) (दिनांक 02.04.2016 से प्रभावशील)

4-	**Junior Management -I** (Assistant Manager)	Promotion / Appointment to the post of Assistant Manager.		
		25 % of the total sanctioned strength shall be filled up from amongst JM II/ Banking Assistants except Junior Assistant,who have completed atleast 4 year's confirmed services in the bank.	**50 % of the total sanctioned strength shall be filled up by promotion as decided by the Staff Committee of the Bank from time to time.**	**25 % of the total sanctioned strength shall be filled up by direct recruitment from the open market by the selected agencies like IBPS.**
		Minimum qualification/ experience in case of recruitment from amongst bank's employees.		**Minimum qualification in case of recruitment from open market to the post of Assistant Manager.**
		A Second Class Bachelor's Degree or Master's Degree in any discipline recognised by Govt. Besides degree or PGDCA / DCA in Computer Science from Government recognized Institution.		A first class Bachelor's degree or a second class Master's degree in any discipline recognized by Govt or MBA or CA or CFA. Besides, degree or diploma in Computer Science from Government recognized Institution except those candidates having Bachelor or Master degree in computer. For the post of Asstt. Manager (Construction/ Maintenance) degree in Civil /Mech./ Electrical Engineering For the post of **Assistant Manager** (Computer) M.C.A./ B.E. (Computer Science/ Information Technology/ Electronic & Communication). For the post of **Assistant Manager** (Security) should be post Graduate and ex-Army/Air Force/Navy/ Paramilitary/ Police/SAF/ CRP/RPF person, who should have retired as a JCO/NCO or equivalent .
5-	**Junior Management -II** (Account Officer)	**All posts in these class shall be filled up by promotion.**		
(B)	**Banking Assistant**	Assistant Accounts Officer, General Assistant, Computer Operator, Steno Typist, Junior Assistant (Dying cadre) and other posts in the equivalent Pay scale.		
		10 % of the total sanctioned strength shall be filled up from amongst eligible Bank's Support Staff (Sub-ordinate staff)		**90 % of the total sanctioned strength shall be filled up by direct recruitment by the selected agency like IBPS.**
				Minimum Qualification for General Assistant :
		Promotion from Support staff to		1- A second Class Bachelor's degree or

		Banking Assistant, Employees should have Bachelor degree with 7 years confirmed service or Masters degree with 5 years confirmed service. There should be no adverse remark in their character roll for 7 or 5 years as the case may be. Further such employees should acquire knowledge of computer and Hindi & English typewriting within one year from the date of promotion. In case of failure to obtain knowledge of computer, promotion may be cancelled.	Master's degree in any discipline with Knowledge of Hindi and English typing is essential. 2- Pass in one year Computer Diploma Course from any one of the following recognized institutions :- i) Diploma from any University recognized by UGC. ii) Diploma from any Open University recognized by UGC. iii) Equivalent to Diploma examination from DOEACC. iv) Modern Office Management course from Government polytechnic College. v) One year certificate course in "Computer Operator and programming Assessment (COPA) conducted by Government I.T.I In addition to above Diploma certificate issued by above recognized institutions, the following qualifications will also be considered as equivalent to above:- i B.E.(CSE/I.T)M.C.A./B.C.A./M.Sc.(I.T./C.S)/ B.Sc(I.T./C.S.)M.Tech./M.E. ii Diploma in Computer Science/Computer Applications and Information Technology approved by.A.I.C.T.E. 3.Study of B.Sc./ B.Com. with Computer as one subject will not be considered as equivalent to the above qualification.
(C)	**Sub Ordinate Staff**	**Vehicle Supervisor, Senior Driver, Driver, Peon, Mali, Security Guard, Electrician, Senior Electrician, Liftman, Plumber.** **Educational Qualification** HSSC Pass Or ITI Certificate holder of related trade.	

26/5/16.

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश